

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

क्रमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2021-22/5971

दिनांक: 20-4-21

1. अति.निदेशक,  
आयुर्वेद विभाग,  
उदयपुर/जोधपुर/जयपुर/भरतपुर/  
कोटा/बीकानेर।
2. सहायक निदेशक,  
निदेशालय अजमेर (आहरण वितरण अधिकारी)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 अन्तर्गत किराये के वाहन हेतु स्वीकृति/बजट आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत किराये के वाहन लिये जाने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपको अधीनस्थ उपनिदेशक कार्यालयो/औषधालयो/चिकित्सालयो के निरीक्षण एवं प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु बजट मद 2210-02-101-08-01 उपमद 36-वाहन किराया प्रतिबद्ध के अन्तर्गत निम्नानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज. जयपुर ने जारी की हैं। वाहन किराये पर रखने बाबत वांछित कार्यवाही यथा टेण्डर/अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(4)एफ.डी./एसपीएफसी/2017/दिनांक 19.07.18 एवं 31.03.2021 में दिये गये विन्दुवार निर्देशों एवं व्यवस्था के अनुसार अमल में लायी जावे। अतः निदेशालय द्वारा आवंटित बजट सीमा में ही राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करे, किसी भी दशा में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश जारी दिनांक से प्रभावी होंगे। जिसका बजट आवंटन विवरण निम्नानुसार हैं -

क्र.सं.	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	किराये पर वाहन लिये जाने की संख्या	राशि रु हजारों में	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर	1 अतिरिक्त निदेशक हेतु 1 वित्तीय सलाहकार 1 अति.निदेशक संभाग अजमेर	900	अधिकतम 2500 किमी प्रति माह मासिक आधार पर (प्रथम 2 वाहन) अधिकतम 2200 किमी प्रति माह मासिक आधार पर एक वाहन
2.	अति. निदे. आयुर्वेद विभाग जोधपुर	1	100	
3.	अति. निदे. आयुर्वेद विभाग भरतपुर	1	100	
4.	अति. निदे. आयुर्वेद विभाग जयपुर	1	100	
5.	अति. निदे. आयुर्वेद विभाग बीकानेर	1	100	
6.	अति. निदे. आयुर्वेद विभाग कोटा	1	100	
7.	अति. निदे. आयुर्वेद विभाग उदयपुर	1	100	

1. निदेशालय द्वारा उपरोक्त राशि का आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 के लिये किया जा रहा है। अतः आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करे, किसी भी दशा में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा। अनावश्यक अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करे।
2. किराये के वाहन संबंधी कार्यवाही सा ले वि नियम एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार की जावे।
3. कार्यालय को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर कारण सहित तुरन्त निदेशालय को पत्र/दूरभाष द्वारा सूचित करे।

(सीमा शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2021-22/5971

दिनांक: 20-4-21

प्रतिलिपि- 1 प्रभारी कम्प्यूटर सैल को विभाग की वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।

लेखाधिकारी